**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 192**

**सोमवार, 25 नवंबर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)**

**केन्द्र प्रायोजित योजनाएं**

**192. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों और कामगारों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसएस के अंतर्गत श्रमिक कल्याण योजनाओं के लिए कुल वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु राज्य में अब तक निर्माण, घरेलू कार्य और प्रवासी श्रम जैसे क्षेत्रों में वितरित और उपयोग किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन योजनाओं का लाभ श्रमिकों, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए सीएसएस की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने वाली इन योजनाओं के प्रभाव के बारे में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) क्या श्रम क्षेत्र में उभरती चुनौतियों, जैसे गिग श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों के समाधान के लिए नए सीएसएस का विस्तार या शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं हैं: (i) बीड़ी/ सिनेमा/ गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास; (ii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का उद्देश्य नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है; (iii) मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के

जारी..2/-

लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस); (iv) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है; (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समान/ बराबर अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना; (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं।

तमिलनाडु राज्य सहित चालू वित्तीय वर्ष में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा विनियमन) अधिनियम, 1996 में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों का उपबंध किया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सन्निर्माण की लागत के 1% की दर से उपकर लगाया और संग्रहण किया जाता है। राज्य, भवन एवं सन्निर्माण अधिनियम के अंतर्गत गठित अपने संबंधित राज्य भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्डों के माध्यम से बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार उपकर निधि का उपयोग करते हैं।

योजना के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लाभार्थियों को जुटाने के मुद्दों का समाधान राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से जागरूकता शिविरों के आयोजन, नामांकन आदि को सुकर बनाकर किया जाता है।

मंत्रालय में स्कीमों की समीक्षा/मूल्यांकन/संशोधन एक सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है और बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के सुझावों/सिफारिशों/अध्ययनों के अनुसार समय-समय पर निर्णय लिए जाते हैं।

गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को पहली बार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में परिभाषित किया गया है, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख संहिता में किया गया है। यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण इत्यादि मामलों से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का उपबंध करता है। संहिता में कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष/निधि स्थापित करने का भी उपबंध है।

* *****

**अनुबंध**

**"केन्द्र प्रायोजित योजनाएं" के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।**

तमिलनाडु राज्य को शामिल करते हुए प्रमुख कल्याण योजनाओं के अंतर्गत किए गए व्यय और लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:**

| **वर्ष** | **व्यय (करोड़ रु. में)** |
|---|---|
| 2024-25 (दिनांक 20.11.2024 के अनुसार) | 95.18 |

दिनांक 20.11.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत मानधन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें तमिलनाडु राज्य के 68,641 लाभार्थी शामिल हैं।

**2. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस)**:

| **वर्ष** | **व्यय (करोड़ रु. में)** |
|---|---|
| 2024-25 ( दिनांक 11.11.2024 के अनुसार) | 9.34 |

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल लाभार्थी 96,08,540 हैं, जिनमे से तमिलनाडु क्षेत्र के लाभार्थी 15,22,782 हैं।

**3. राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस)**:

| **वर्ष** | **व्यय (करोड़ रु. में)** |
|---|---|
| 2024-25 (15 नवंबर, 2024 के अनुसार) | 24.25 |

उपरोक्त वित्तीय वर्षों (15 नवंबर, 2024 तक) के दौरान एनसीएस के तहत रोजगार चाहने वाले/लाभार्थी 3,70,18,111 हैं, जिनमें से 13,83,407 तमिलनाडु राज्य में हैं।

**4. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):**

एबीआरवाई दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 को शुरू किया गया था। यह योजना नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए अक्टूबर, 2020 के वेतन माह से जून, 2021 के वेतन माह तक की अवधि के लिए खुली है।

| **वर्ष** | **संवितरित राशि (**करोड़ रु. में**)** |
|---|---|
| 2023-24 | 1197.89 |

दिनांक 31.03.2024 तक, कुल लाभार्थी 60.49 लाख हैं, जिनमें से 8.05 लाख लाभार्थी तमिलनाडु राज्य में हैं।

**5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी):** ईएसआईसी योजना के तहत**,** तमिलनाडु राज्य में 11 अस्पताल (3 ईएसआईसी और 8 ईएसआईएस) और 241 औषधालय हैं**;** और **7** नए अस्पतालों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है। राज्य में 43,77,090 बीमित व्यक्ति हैं।

**6. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना:**

यह स्कीम मांग आधारित है जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें निधियां प्रदान की जाती हैं। तमिलनाडु राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लाभार्थियों की कुल संख्या और उनके पुनर्वास के लिए जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **तमिलनाडु राज्य में पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या** | **तमिलनाडु राज्य के लिए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए जारी राशि (लाख रुपए में)** |
|---|---|---|
| 2024-25 | 03 | 0.60 |

******